न्यायालय– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश –सह– विशेष न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

एस.सी. / एस.टी. मुकदमा संख्या – 385 / 2017

सरकार

बनाम

प्रदीप कुमार सिंह व अन्य

14.01.2020 प्रस्तुत वाद में अभियुक्त प्रदीप कुमार सिन्हा पिता लाला साधु शरण प्रसाद एवं अभियुक्त शिवम पिता प्रदीप कुमार सिन्हा की ओर से एक आवेदन दिनांक 20.08.2019 को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदकगणों को इस वाद से उन्मोचित किया जाये क्योंकि अभिलेख पर उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

उक्त आवेदन को आज चालित किया जा रहा है।

पूकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि इस वाद में प्राथमिकी घटना के एक–डेढ़ महिने बाद दर्ज किया गया है। इसलिए अभियोजन की कहानी विश्वसनीय नहीं है। साथ–ही–साथ यह भी कहा जा रहा है कि अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए आवेदक अभियुक्तगणों को इस वाद में उन्मोचित किया जाये। साथ–ही–साथ विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अभियुक्तों को पूर्व दुश्मनी के कारण झूठा फॅसा दिया गया है। जैसा आरोप लगाया गया है, वैसा अपराध की कोई धारा अभियुक्तों के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है। इसलिए अभियुक्तगणों को इस वाद से परेशान होने से बचाने का निवेदन किया जा रहा है और उन्मोचन का प्रार्थना किया जा रहा है।

दूसरी तरफ विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का पूरजोर विरोध किया जा रहा है।

सूना, अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादी विजय कुमार द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोजपुर, आरा के न्यायालय में परिवाद वाद संख्या 1244/2016 दर्ज किया गया। जिसे द0प्र0स0 की धारा 156(3) के अंतगर्त दिनांक 29.08.2016 को आरा नगर थाना में भेजा गया, जिसके आधार पर आरा नगर थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 14.09.2016 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 379/504/34 भा0द0वि0 एवं अनुसुचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतगर्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। आवेदकगण प्रदीप कुमार सिन्हा, शिवम कुमार एवं विकंटेश चौधरी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा उपरोक्त धाराओं के अलावा अनुसुचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतगर्त भी आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलेख दिनांक 03.04.2017 को विशेष न्यायालय को स्थानांतर किया गया है। अभियुक्तों की उपस्थिति के पश्चात् विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2018 को संज्ञान ग्रहण किया गया है। परिवादी का संक्षेप में अपने परिवाद पत्र में आरोप है कि परिवादी प्राईवेट स्कूल स्मार्ट किडस, आरा सेन्ट्रल स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और अभियोगी के स्कूल के बगल स्थित स्कूल, जिसका नाम आरा सेन्ट्रल स्कूल है, 2012 से पूर्व उक्त स्कूल में कार्यरत था और जब नये स्कूल स्मार्ट किडस के बनने के बाद अभियोगी ने नये स्कूल में नौकरी प्राप्त कर कार्य करने लगा। परिवादी का यह भी कहना है कि दोनो स्कूलों के निदेशकों मे विवाद है और जिस वर्तमान स्कूल में अभियोगी कार्यरत है, उस स्कूल को बदनाम करने के लिए अभियुक्तगण पेपरबाजी एवं पंपलेटबाजी करते है, जिसको लेकर मुकदमा हुआ है और उस मुकदमें में परिवादी साक्षी बना है। इसी बात को लेकर मुदालयगण हमेशा, जिसमें आवेदक भी है, अभियोगी को पासी जाति का नाम लेकर गाली–गलौज करता है, सबक सिखाने की धमकी देता है और अभियुक्त नम्बर 1, 2, 3 अभियोगी को फैट–मुक्का से मार–पीट भी किये है और मुदालय नम्बर 3 अभियोगी के पॉकेट से 3000/– रूपया भी निकाल लिया था और

तरह–तरह से अभियोगी को प्रताड़ित किये है। प्राथमिकी पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण स्कूल चलाते हैं और इन लोगों के स्कुल के बगल में एक अन्य स्कुल भी है जिसमें परिवादी पूर्व में पढ़ाता था और इन दोनो स्कुलों के प्रबंधकों के बीच व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धा की बात बताई जाती है। उसी प्रतिर्स्पद्धा को लेकर परिवादी के साथ यह घटना घटित हुआ है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त न0 1 यानि आवेदन प्रदीप कुमार सिन्हा परिवादी का कपड़ा फाड़ दिये और मुँह पर थुक दियें और परिवादी को जाति का नाम लेकर गाली–गलौज कियें और अभियुक्त न0 2 एवं 3 ने भी परिवादी को जाति का नाम लेकर गाली दिया है और मार–पीट किया है। इस प्रकार से प्राथमिकी में आवेदकगणों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सीधे–सीधें आरोप लगाया गया है। इसके अलावा अभिलेख पर उपलब्ध काण्ड दैनिकी के पारा 1, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 18, 22 के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप गठन करने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए आवेदकगणों का आवेदन निराधार है। अतः आवेदक अभियुक्तगणों का आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक 11.02.2020 वास्ते आरोप गठन हेतु।

14/01/2020

विशेष न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।